न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/570

1. कजोड़ बागरिया पुत्र श्री जोरू बागरिया, निवासीकुराड, थाना पचेवर, जिला टोंक (राज0)।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 7 (4) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 विरुद्ध आदेश दिनांक 24–7–2024 पारित द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दूदू मुकदमा संख्या– 08/2024 गौवंशीय पशु अधिनियम, 1995 में अपीलार्थी का वाहन पिकअप संख्या–आर. जे. 21–जी. ई. –1316 अत्यधिक राशि 1,00,000/– रूपये के जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर वाहन को पूर्ववत जब्त रहने का आदेश पारित किया ।

उपस्थित–

1. श्री जुल्फियार अली वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–03.03.2025

1. यह अपील राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर दूदू राजस्थान के निर्णय दिनांक 24.07.2024 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दूदू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत् जब्त वाहन पिकअप संख्या RJ21–GE–1316 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दूदू द्वारा अधिनियम की धारा 6(2) के तहत् वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अक्षरे एक लाख रूपये जमा

नहीं कराने के करने के कारण पिकअप पूर्ववत जब्त रखे जाने के आदेश दिनांक 24.07.2024 को दिये गये।

3. जिला कलक्टर दूदू के उक्त निर्णय दिनांक 24.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट कजोड़ बागरिया पुत्र श्री जोरू बागरिया द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर दूददिनांक 24.07.2024 निरस्त करने एवं सुपुर्दगीनामें पर वाहन की सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दूदू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण में जब्त वाहन पिकअप संख्या RJ21–GE–1316 का प्रार्थी पंजीकृत स्वामी है, जब्त वाहन पिकअप ही प्रार्थी के परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत है, प्रार्थी ने गोवंश की किसी प्रकार से कोई तस्करी नहीं की है, आसपास के गांवों में आवारा गोवंश को ग्रामीणों के कहने पर से खुले जंगल में छोडने जा रहा था इसलिये जब्त पिकअप वाहन को जमानत सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश फरमाये । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24–07–2024 के द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर 1,00,000/– रूपये जुर्माना राशि नहीं जमा कराने पर प्रार्थना पत्र को फैसल शुमार कर अपीलार्थी के वाहन पिकअप संख्या–RJ21–GE–1316 को पूर्ववत जब्त रहने का आदेश पारित किया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि प्रार्थी अपीलार्थी अल्प आय अर्जित करने वाला व्यक्ति है, जो कि अत्यधिक जुर्माना राशि 1,00,000/– रूपये की अदायगी करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थी को उसका वाहन पिकअप संख्या– आर.जे. 21–जी. ई.–1316 को उचित राशि के सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी के तथ्यों पर पूर्ण रूप से गौर नहीं कर एकतरफा रूप से पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दूदू दिनांक 24.07.2024 निरस्त करने एवं वाहन की सुपुर्दगी दिये जाने के आदेश फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी ने पिकअप में गोवंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक क्रुरता के साथ भरकर ले जाते पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दूदू द्वारा विधिवत् ही वाहन मालिक द्वारा नियमित समय में जुर्माना राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण ही पिकअप पूर्ववत जब्त रखे जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किया है

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6(क) के विरूद्ध अपील के प्रावधान निहित नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 28.10.2024 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी श्री कजोड बगरिया द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6(क) के विरूद्ध जब्त वाहन संख्या RJ21–GE–1316 को सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट पीटिशन संख्या 2097/2024 निर्णय दिनांक 01.07.2024 में यह उद्धरण किया गया है कि राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम, 1995 के तहत जिला कलक्टर द्वारा धारा 6(क) के तहत् पारित आदेश के विरूद्ध अपील के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील पोषणीय नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किये बिना कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।